न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनीयॉ आर.ए.एस

अपील सं0 2003/00015 (28/2003)

1. किशनचन्द पुत्र श्री कन्हैयालाल पुत्र श्री ईशरदास जाति अरोड़ा निवासी खैरूवाला तहसील संगरिया हाल आबाद अबोहर तहसील अबोहर जिला फिरोजपुर (पंजाब)

   1/1 विमल कुमार
   1/2 राकेश कुमार
   1/3 संजीव कुमार
   } पुत्रगण स्व0 किशनचन्द जाति अरोड़ा निवासी मकान नं. 1238 गली नं. 6 मेन सिटी, तहसील अबोहर जिला फाजिल्का, (पंजाब)

   1/4 श्री मति आशु मांगिया पत्नी श्री विनोद मांगिया पुत्री स्व0 किशनचन्द जाति अरोड़ा निवासी 2029/7 फेज, मोहाली तहसील व जिला मोहाली।

   1/5 श्रीमति नेहा बब्बर पत्नी श्री अशोक बब्बर पुत्री स्व0 किशनचन्द जाति अरोड़ा निवासी सोढियों का गेट, पटियाला तहसील व जिला पटियाला (पंजाब)

   1/6 श्रीमति पायल कटारिया पत्नी श्री बॉबी कटारिया पुत्री स्व0 किशनचन्द जाति अरोड़ा निवासी एस.एस.नगर पटियाला तहसील व जिला पटियाला (पंजाब)

   1/7 श्रीमति रीटा रानी पत्नी श्री सुरेन्द्र डोडेजा पुत्री स्व0 किशनचन्द जाति अरोड़ा निवासी पाण्डुसर मोहल्ला, नाभा तहसील नाभा जिला पटियाला (पंजाब)

2. हाड़ी राम पुत्र ईशरदास जाति अरोड़ा निवासी खैरूववाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ हाल आबाद आबोहर तहसील अबोहर जिला फिरोजपुर जरिये मुखत्यारआम किशनचन्द पुत्री श्री कन्हैयालाल पुत्र श्री ईशरदास जाति अरोड़ा निवासी खैरूवाला तहसील संगरिया हाल आबाद अबोहर तहसील अबोहर जिला फिरोजपुर।

–अपीलाण्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:57:04 IST
Reason: SelfAttested

बनाम

1. परमपाल कौर उर्फ परमजीत कौर धर्मपत्नी श्री गुरतेज सिंह
2. शिवकरण सिंह पुत्र स्व0 गुरतेज सिंह
3. बलकरण सिंह पुत्र स्व0 गुरतेज सिंह
4. रानी पुत्री स्व0 गुरतेज सिंह
5. परमजीत कौर स्व0गुरतेज सिंह

} जाति जटसिख निवासी खैरूवाला तहसील संगरिया

6. सुखदेव सिंह पुत्र श्री हरीसिंह जाति जटसिख निवासी खैरूवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ। (राजस्थान)
7. लाली बाई बेवा रामूमल जाति सिन्धी निवासी खैरूवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राजस्थान)
8. हकीक सिंह पुत्र श्री इन्द्र सिंह
9. सुखचैन सिंह पुत्र श्री हकीक सिंह
10. जगदेव सिह पुत्र हकीक सिंह
11. सुरजीत सिंह पुत्र श्री हकीक सिंह

} जाति जटसिख निवासी खैरूवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

12. जलकौर धर्मपत्नी हरीसिंह जाति जटसिख निवासी खैरूवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
13. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया जिला हनुमानगढ। — रेस्पोडेण्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.12.2002 द्वारा सहायक कलक्टर संगरिया अनवान किशनचन्द आदि बनाम गुरतेज सिंह आदि प्र0 सं0 254/1995

श्री मोहन मुंजाल अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री महेन्द्र सिंह संधू अधिवक्ता रेस्पो0
श्री रविन्द्र कुमार भोभिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 13

निर्णय दिनांकः— 04.02.2021

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रश्नगत भूमि चक 27 ए.ए.पी, प. नं. 101/162 की कुल [illegible] बीघा 9 बिस्वा भूमि पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं बेदखली का वाद पेश किया । वादपत्र में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि उनके पूर्वज ईशरदास को कुल 17 बीघा 19 बिस्वा भूमि आवंटित हुई थी, जिसकी खातेदारी प्राप्त हो चुकी थी। 10 वर्ष पूर्व 2.09 बीघा भूमि अपीलाण्ट के कब्जा में थी तब यह मानते हुए कि यह भूमि ईशरदास को आवंटित

(हस्ताक्षर)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:57:04 IST
Reason: SelfAttested

नहीं हुई थी अपीलाण्ट को बेदखल कर दिया। उक्त तथ्यों को अंकित करते हुए अपीलाण्ट ने अधिकारों की घोषणा एवं बेदखली का अनुतोष मांगा। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में प्रश्नगत आराजी को राजस्व रिकार्ड में रामूमल सिन्धी के नाम आवंटन होना माना तथा वादी का वाद खारिज कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज में चली न्यायिक कार्यवाही में सनद प्रदर्श–1 को सही होना पाया गया था। इसके बावजूद प्रश्नगत भूमि अपीलाण्ट की खातेदारी न होना मानकर गंभीर कानूनी व तथ्यात्मक गलती की है। अपीलाट का यह स्पष्ट कथन था कि उनके द्वारा जिला पुनर्वास विभाग के समक्ष यह कार्यवाही पटवारी हल्का के मिथ्या व्यादेश के कारण सनद दुरूस्ती हेतु की थी लेकिन वास्तव में सनद में कोई त्रूटि नहीं थी। रेस्पोडेण्ट ने कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है। लीलादेवी के आवंटन आदेश को कोई विवरण नहीं है बल्कि कच्ची पेंसिल से इन्द्राज है जिसपर किसी अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है। इससे कयास नहीं लगाया जा सकता की लीलाबाई को प्रश्नगत भूमि आवंटन हुई है। लीलाबाई या उसके उत्तराधिकारियों द्वारा कोई चुनौती नही दी गई है। 1986 से पूर्व रेस्पोडण्ट का कब्जा होने सम्बन्धी कोई दस्तावेज नहीं है। वस्तुतः 1986 में अपीलाण्ट से कब्जा छीनकर प्रतिवादीगण को काबिज करवाया गया। अपीलांट को प्रतिवादीगण के विरूद्ध ववाद हेतु सन् 1986 में उत्पन्न हुआ व इसके 12 वर्ष अन्दर दावा दाखिल हो चुका है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि आराजी न तो कभी ईशरदास को आवंटन हुई थी तथा न ही कभी ईशरदास को कब्जा प्राप्त हुआ था। उसे मु0 नं0 231 किला नं. 14, 15, 17 आवंटित हुए थे। वादग्रस्त आराजी लीलाबाई को आवंटित की गई थी जिसे करतार कौर ने क्रय कर ली थी इसके बाद आराजी प्रतिवादी 1, 2 की माता जलकौर व जसवीर कौर पत्नी हकीक सिंह ने कीमत क्रय कर ली थी [illegible] जसवीर कौर का ही कब्जा काश्त है। वादी को घोषणा का वाद पेश करने का अधिकार नहीं है। किसी भी न्यायालय ने सनद 6541 दिनांक 05.02.69 को सही नहीं माना है। वादी द्वारा विभिन्न न्यायालयों में कार्यवाही की गई थी [illegible] कब्जा अन्य व्यक्ति का माना गया है। विभिन्न बैयनामों के बारे में भी वादी को पूर्ण ज्ञान रहा है। अपीलाण्ट को

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:57:04 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने विधि अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।
6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
7. वादीगण ने सनद संख्या 6541 दिनांक 05.02.69 के आधार पर प्रश्नगत 2.09 बीघा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करने का अनुतोष मांगा है। वादीगण ने वादपत्र में उक्त भूमि क्लेमेंट के रूप में ईशरदास को आवंटन होना बताया है लेकिन ईशरदास को आवंटन होने बाबत वादीगण ने कोई रिकार्ड पेश नहीं किया है। वस्तुतः प्रश्नगत आराजी रामूमल सिन्धी को हो गई थी तथा राजस्व रिकार्ड में रामूमल के नाम इन्द्राज हो गया था। उक्त आराजी की सनद वादीगण के नाम भी जारी हो गयी थी। वादीगण का सनद में वर्णित आराजी में से मु0 नं0 17 किला नं. 6, 19, 23 की आराजी पर कब्जा काश्त नही थी बल्कि मु0 नं0 21 किला नं. 14, 15, 17 की आराजी पर कब्जा था इसलिए वादीगण द्वारा उक्त इन्द्राज हेतु विभिन्न न्यायालयों में चाराजोही की गई थी तथा उन न्यायालयों में वादीगण द्वारा किला नं. 6, 19, 23 पर कब्जा नहीं हेाना बताया था। अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण के अपने पूर्व में किये गये कथनों से विबंधित होने एवं वादग्रस्त आराजी पर वादीगण का 30 वर्ष से कब्जा नही होने के कारण वाद खारिज योग्य मानते हुए खारिज किया है। उक्त तथ्यों के विपरीत अपीलाण्ट ने अपील में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जिसके आधार अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय में हस्तक्षेप किया जा सके। ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।
8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.12.2002 यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। रिकार्ड तहत का भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।
9. निर्णय आज दिनांक 04.02.21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

4.2.21

(करतार सिंह पूनीयाँ आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी,
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:57:04 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री सीबेक अपील

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी श्री करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील सं0 2003/00015 (28/2003)

1. किशनचन्द पुत्र श्री कन्हैयालाल पुत्र श्री ईशरदास जाति अरोड़ा निवासी खैरूवाला तहसील संगरिया हाल आबाद अबोहर तहसील अबोहर जिला फिरोजपुर (पंजाब)

   1/1 विमल कुमार
1/2 राकेश कुमार
1/3 संजीव कुमार } पुत्रगण स्व0 किशनचन्द जाति अरोड़ा निवासी मकान नं. 1238 गली नं. 6 मेन सिटी, तहसील अबोहर जिला फाजिल्का, (पंजाब)

   1/4 श्री मति आशु मांगिया पत्नी श्री विनोद मांगिया पुत्री स्व0 किशनचन्द जाति अरोड़ा निवासी 2029/7 फेज, मोहाली तहसील व जिला मोहाली।

   1/5 श्रीमति नेहा बब्बर पत्नी श्री अशोक बब्बर पुत्री स्व0 किशनचन्द जाति अरोड़ा निवासी सोढियों का गेट, पटियाला तहसील व जिला पटियाला (पंजाब)

   1/6 श्रीमति पायल कटारिया पत्नी श्री बॉबी कटारिया पुत्री स्व0 किशनचन्द जाति अरोड़ा निवासी एस.एस.नगर पटियाला तहसील व जिला पटियाला (पंजाब)

   1/7 श्रीमति रीटा रानी पत्नी श्री सुरेन्द्र डोडेजा पुत्री स्व0 किशनचन्द जाति अरोड़ा निवासी पाण्डुसर मोहल्ला, नाभा तहसील नाभा जिला पटियाला (पंजाब)

2. हाड़ी राम पुत्र ईशरदास जाति अरोड़ा निवासी खैरूववाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ हाल आबाद आबोहर तहसील अबोहर जिला फिरोजपुर जरिये मुखत्यारआम किशनचन्द पुत्री श्री कन्हैयालाल पुत्र श्री ईशरदास जाति अरोड़ा निवासी खैरूवाला तहसील संगरिया हाल आबाद अबोहर तहसील अबोहर जिला फिरोजपुर

–अपीलाण्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी (राज.) हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:57:04 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

बनाम

1. परमपाल कौर उर्फ परमजीत कौर धर्मपत्नी श्री गुरतेज सिंह
2. शिवकरण सिंह पुत्र स्व0 गुरतेज सिंह
3. बलकरण सिंह पुत्र स्व0 गुरतेज सिंह
4. रानी पुत्री स्व0 गुरतेज सिंह
5. परमजीत कौर स्व0गुरतेज सिंह

(2 से 5) जाति जटसिख निवासी खैरूवाला तहसील संगरिया

6. सुखदेव सिंह पुत्र श्री हरीसिंह जाति जटसिख निवासी खैरूवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ। (राजस्थान)
7. लाली बाई बेवा रामूमल जाति सिन्धी निवासी खैरूवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राजस्थान)
8. हकीक सिंह पुत्र श्री इन्द्र सिंह
9. सुखचैन सिंह पुत्र श्री हकीक सिंह
10. जगदेव सिह पुत्र हकीक सिंह
11. सुरजीत सिंह पुत्र श्री हकीक सिंह

(8 से 11) जाति जटसिख निवासी खैरूवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

12. जलकौर धर्मपत्नी हरीसिंह जाति जटसिख निवासी खैरूवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
13. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया जिला हनुमानगढ।

— रेस्पोडेण्ट

विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.12.2002 द्वारा सहायक कलक्टर संगरिया अनवान किशनचन्द आदि बनाम गुरतेज सिंह आदि प्र0 सं0 254/1995

रूबरू आज श्री मोहन मुंजाल अधिवक्ता अपीलाण्ट, श्री महेन्द्र सिंह संधू अधिवक्ता रेस्पो0, श्री रविन्द्र कुमार भोभिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 13, की ओर से पेश होकर हुक्म हुआ है कि उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.12.2002 यथावत रखा जाता है। डिक्री आज दिनांक 4.2.2021 को मेरे हस्ताक्षरों से जारी की गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी ★ हनुमानगढ़ (राज.) ★

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:57:04 IST
Reason: SelfAttested

4/2/21

(करतार सिंह पूनीया आर.ए.एस)
राजस्व अपील अधिकारी,
हनुमानगढ